रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 2004/फाल्गुन 11, 1925
No. 110] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 2004/PHALGUNA 11, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 168(अ).— केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता नियम, 1956 का, गुजरात और राजस्थान राज्यों को उन्हें लागू करने के लिए, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) नियम, 2004 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गुजरात और राजस्थान राज्यों को लागू करने के लिए नागरिकता नियम, 1956 का संशोधन—नागरिकता नियम, 1956 गुजरात और राजस्थान राज्यों को, नागरिकता (संशोधन) नियम, 2004 के नियम 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए, उनके प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव होंगे ।

3. नागरिकता नियम, 1956 का संशोधन -- नागरिकता नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) निम्न रूप में संशोधित किया जाएगा :-

(1) उक्त नियमों के नियम 8 में "प्राधिकारी" शब्द के स्थान पर " नियम 8क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) उक्त नियमों के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

" 8क. गुजरात और राजस्थान राज्यों में नागरिकों के रूप में रजिस्टर करने के लिए प्राधिकारी –

(1) गुजरात राज्य में नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण की दशा में, –

(क) कच्छ, पाटन, बनासकांठा और अहमदाबाद जिलों के संबंध में, --

(i) वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के परिणामस्वरूप विस्थापित अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय के पाकिस्तान के राष्ट्रिकों, भारतीय नागरिकों से विवाहित ऐसे व्यक्तियों के आश्रित या भारतीय मूल के व्यक्तियों की बाबत अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्टर करने के लिए जिलों के संबद्ध कलक्टर प्राधिकारी होंगे ;

(ii) पाकिस्तान की नागरिकता वाले ऐसे अल्पसंख्यक हिन्दू जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पिछले पांच वर्ष से अधिक से भारत को प्रवास कर गए हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्टर करने के लिए प्राधिकारी उस जिले का संबद्ध कलक्टर होगा जहां आवेदक मामूली तौर पर निवास करता है ;

(ख) उन जिलों के संबंध में जो खंड (क) के उपखंड (i) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्टर करने के लिए प्राधिकारी गुजरात राज्य के गृह विभाग का सचिव होगा ।" ।

(2) राजस्थान राज्य में नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण की दशा में, --

(i) बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के संबंध में, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के परिणामस्वरूप विस्थापित उन अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय के पाकिस्तान के राष्ट्रिकों, भारतीय नागरिकों से विवाहित ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों या भारतीय मूल के व्यक्तियों की बाबत, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के है अधीन भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्टर करने के लिए जिले का संबद्ध कलक्टर प्राधिकारी होगा ;

(ii) पाकिस्तान की नागरिकता वाले ऐसे अल्पसंख्यक हिन्दू जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पिछले पांच वर्ष से अधिक से भारत को प्रवास कर गए हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्टर करने के लिए प्राधिकारी उस जिले का संबद्ध कलक्टर होगा जहां आवेदक मामूली तौर पर निवास करता है ;

(3) उक्त नियमों के नियम 9 में "कलक्टर" शब्द के स्थान पर "नियम 9क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कलक्टर" शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(4) उक्त नियमों के नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् --

" 9क. गुजरात और राजस्थान के जिलों के कलक्टरों को प्ररूपों का प्रस्तुत किया जाना -- अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन भारत की नागरिकता प्रदान किए जाने के लिए विहित प्ररूप जब पूर्ण हो, दो प्रतियों में, गुजरात और राजस्थान के जिलों के संबद्ध उस कलक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता के भीतर आवेदक मामूली तौर पर निवास करता है ।"

(5) नियम 11 में "केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "नियम 11क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाएंगे" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(6) उक्त नियमों के नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

" 11क. धारा 5 (1)(क) और (घ) के अधीन गुजरात और राजस्थान में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का रजिस्टर -- (1) निम्नलिखित द्वारा रखा जाएगा, --

(i) उस खंड के विनिर्दिष्ट जिलों के संबंध में नियम 8क के उपनियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट जिले का संबद्ध कलक्टर ;

(ii) गुजरात राज्य के जिलों के संबंध में, जो नियम 8क के उपनियम (i) के खंड क के उपखंड (i) के अंतर्गत नहीं आते हैं सचिव, गृह विभाग गुजरात राज्य ;

(iii) नियम 8क के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के संबंध में जिलों के सम्बद्ध कलक्टर ।

(2) प्ररूपों के संबंध में नियम 11 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।" ।

(7) उक्त नियमों के नियम 12 में "केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "नियम 12क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर रखे जाएंगे" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(8) उक्त नियमों के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" 12क. धारा 5(1) (ग) के अधीन गुजरात और राजस्थान में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का रजिस्टर --

(1) निम्नलिखित द्वारा रखा जाएगा-

(i) नियम 8क के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य के संबंध में जिलों के सम्बद्ध कलक्टर ।

(ii) गुजरात राज्य के उन जिलों के संबंध में जो नियम 8क के खंड (क) के उपखंड (i) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, सचिव, गृह विभाग, गुजरात राज्य

(iii) नियम 8क के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिलों के संबंध में जिलों के सम्बद्ध कलक्टर ।

(2) प्ररूपों के संबंध में नियम 12 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

(9) उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" **33. संक्रमणकालीन उपबंध** -- गुजरात और राजस्थान राज्य के संबंध में नागरिकों के रजिस्टरीकरण के लिए ऐसे सभी आवेदनों का, जो नागरिकता (संशोधन) नियम, 2004 के प्रवृत होने के ठीक पहले केन्द्रीय सरकार के पास निपटान के लिए लम्बित हैं, निपटान उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो नियम 8क के अधीन किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करने के लिए अपेक्षित है ।" ।

[सं. 26011/03/2003-आई.सी. I]

प्रवीण श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—नागरिकता नियम, 1956 का.नि.आ. 1574, तारीख 7-7-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 344(अ) तारीख 20-4-2000 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2004

G.S.R 168(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules, 1956, in their application to the States of Gujarat and Rajasthan, namely: -

1. (1) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Citizenship Rules, 1956 in their application to the States of Gujarat and Rajasthan. – The Citizenship Rules, 1956, shall, in their application to the States of Gujarat and Rajasthan, have effect, subject to the amendments specified in rule 3 of the Citizenship (Amendment) Rules, 2004, for a period of one year from the date of their commencement.

3. Amendment of the Citizenship Rules, 1956. – The Citizenship Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules) shall be amended as under: -

(1) In rule 8 of the said rules, for the words "The authority", the words "Subject to the provisions of rule 8A, the authority" shall be substituted.

(2) After rule 8 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -

"8A. Authority to register as Citizens in States of Gujarat and Rajasthan. –

(1) In the case of registration of citizens in the State of Gujarat, -

(a) in relation to the districts of Kutch, Patan, Banaskantha and Ahmedabad, -

(i) in respect of Pakistan nationals of minority Hindu community displaced consequent to the wars between India and Pakistan in the years 1965 and 1971, the dependents of such persons married to Indian Citizens or persons of Indian origin; the authority to register a person as a citizen of India under clauses (a), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 of the Act shall be the concerned Collectors of the districts;

(ii) in respect of minority Hindus with Pakistan citizenship who have migrated to India more than five years back with the intention of permanently settling down in India and have applied for Indian citizenship, the authority to register a person as a citizen of India under clauses (a), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5

of the Act shall be the concerned Collector of the district where the applicant is ordinarily resident;

(b) in relation to the districts not covered under sub-clause (i) of clause (a), the authority to register a person as a citizen of India under clauses (a) (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 of the Act shall be the Secretary, Home Department of the State of Gujarat.

(2) In the case of registration of citizens in the State of Rajasthan, -

(i) in relation to the districts of Badmer and Jaisalmer, in respect of Pakistan nationals of minority Hindu community displaced consequent to the wars between India and Pakistan in the years 1965 and 1971, the dependents of such persons married to Indian Citizens or persons of Indian origin, the authority to register a person as a citizen of India under clauses (a), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 of the Act shall be the concerned Collector of the district;

(ii) in respect of minority Hindus with Pakistan citizenship who have migrated to India more than five years back with the intention of permanently settling down in India and have applied for Indian citizenship, the authority to register a person as a citizen of India under clauses (a), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 of the Act shall be the concerned Collector of the district where the applicant is normally resident.".

(3) In rule 9 of the said rules, for the words "The Collector", the words, figure and letter "Subject to the provisions of rule 9A, the Collector" shall be substituted.

(4) After rule 9 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely: -

"9A. Submission of forms to Collectors of districts of Gujarat and Rajasthan. - The prescribed forms when completed shall be submitted in duplicate to the concerned Collector of the district of Gujarat and Rajasthan within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident, for grant of citizenship of India under clauses (a), (c), (d) and (e) of sub-section (l) of section 5 of the Act.".

(5) In rule 11 of the said rules, for the words "There shall", the words, figures and letter "Subject to the provisions of rule 11A, there shall" shall be substituted.

(6) After rule 11 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -

"11A. Register of persons registered in Gujarat and Rajasthan under section 5 (1) (a) and (d). – (1) There shall be kept by, -

(i) the concerned Collector of the district specified in clause (a) of sub-rule (1) of rule 8A, in relation to the districts specified under that clause;

(ii) the Secretary, Home Department of the State of Gujarat in relation to the districts of the State of Gujarat not covered under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (1) of rule 8A;

(iii) the concerned Collectors of the districts in relation to the State of Rajasthan specified under clause (b) of rule 8A.

(2) The provisions of rule 11 in relation to Forms shall *mutais mutandis* apply.".

(7) In rule 12 of the said rules, for the words "There shall", the words, figures and letter "Subject to the provisions of rule 12A, there shall" shall be substituted.

(8) After rule 12 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely: -

"12A. Register of persons registered in Gujarat and Rajasthan under section 5(1) (c). – (1) There shall be kept by –

(i) the concerned District Collectors in relation to the districts of the State of Gujarat specified under clause (a) of rule 8A;

(ii) the Secretary, Home Department of the State of Gujarat in relation to the districts of the State of Gujarat not covered under sub-clause (i) of clause (a) of rule 8A;

(iii) the concerned Collectors of the districts in relation to the districts of the State of Rajasthan specified under clause (b) of rule 8A.

(2) The provisions of rule 12 in relation to Forms shall *mutatis mutandis* apply.".

(9) after rule 32 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -

"33. Transitional provisions. – All the applications for registration of citizens relating to the States of Gujarat and Rajasthan which are pending disposal with the Central Government immediately before the commencement of the Citizenship (Amendment) Rules, 2004 shall be disposed of by the authority which is required to register a person as a citizen of India under rule 8A.".

[F. No. 26011/03/2003-I.C. I]

PRAVIN SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Foot note :—The Citizenship Rules, 1956 were published *vide* S.R.O 1574, dated the 7-7-1956 and subsequently amended *vide* G.S.R. 344(E) dated the 20-4-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.